न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बामनवास
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
28 / 2024	4.4.2024	21-3-2025

रायसिंह मीना पुत्र मूलसिंह उर्फ मूल्या मीना निवासी बिछोछ तहसील बरनाला
——वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील कार्यालय बरनाला ——प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 2902 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 2908 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 2909 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 2912 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 3460/1911 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम बिछोछ तहसील बरनाला रही है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रभू पुत्र कन्हैया लाल मीना के नाम दर्ज रही है। प्रभू मीना पुत्र कन्हैयालाल मीना वादी का रिश्ते में चाचा लगता था। प्रभू मीना के स्वयं की कोई औलाद नहीं थी। इस कारण वादी ही प्रभू मीना की समस्त चल अयल सम्पत्ती की देखभाल करता था और उसकीसेवा सुश्रुषा करता था। एक दुर्घटना में प्रभू मीना का एक पैर कट जाने के कारण प्रभू मीना चलने फिरने में पूर्णरूप से अपंग हो गया था, उस अवधि में भी प्रभू मीना की तीमारदारी भी वादी ही करता था। अन्तिम समय में प्रभू मीना चलने फिरने में पूर्णतः असमर्थ हो गया और वादी ही प्रभू मीना के समस्त दैनिक कार्य बिस्तर पर ही करवाता था। वादी हर प्रकार से प्रभू मीना की सार सम्भाल एवं देखभाल करता था। प्रभू मीना की मृत्यु के बाद प्रभू मीना की चिता को मुखाग्नि स्वयं वादी द्वारा ही दी गई और मृत्यु के पश्चात् होने वाले समस्त कर्मकांड स्वयं वादी द्वारा ही सम्पादित किए गए थे। प्रभू मीना की मृत्यु के बाद प्रभू मीना की पगडी भी वादी के ही बांधी गई थी। इस प्रकार सामाजिक स्तर पर मिन वादी ही प्रभू मीना का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी रहा। प्रभू मीना के द्वारा वादी की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 7.1.2006 को गवाह रामकेश मीना पुत्र ख्याली मीना निवासी बिछोछ व गवाह छोट्या गुर्जर निवासी बैराडा की उपस्थिति में स्टाम्प कीमती 100/—रू0 पर एक वसीयतनामा नोटेरी पब्लिक से अटेस्टेड करवा कर वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया। प्रभू मीना का दिनांक 18.11.2010 को देहान्त हो जाने के पश्चात् गांव के पंच पटेलों के

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

सामने प्रभू मीना की पगडी मिन वादी के बांधी गई और इस सम्बन्ध में दिनांक 11.12.2010 को पंच पटेलों द्वारा पंचनामा स्टाम्प कीमती 10/–रूपए पर निष्पादित किया गया था। प्रभू मीना के लाऔलाद होने के कारण मिन वादी द्वारा एक पुत्र की तरह प्रभू मीना की देखभाल सेवा सुश्रुषा की गई और वादी की सेवा भावना, सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर प्रभू मीना द्वारा अपने जीवनकाल में बसीयत दिनांक 7.1.2006 को वादी के पक्ष में निष्पादित की गई। उक्त वसीयत प्रभू मीना की प्रथम एवं अन्तिम बसीयत है। प्रभू मीना द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित उक्त बसीयत के आधार पर वादी, प्रभू मीना की समस्त चल अचल जायदाद का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे किसी दीगर का कोई उज्र आवर नहीं रहा है। उक्त बसीयत दिनांक 7.1.2006 व पंचनामा दिनांक 11.12.2010 के आधार पर वादी प्रभू मीना की समस्त खातेदारी भूमि में स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का पूर्ण अधिकारी है। वादी स्वयं के पक्ष में निष्पादित बसीयत दिनांक 7.1.2006 व पंचनामा दिनांक 11.12.2010 के आधार पर भूमि ख0नं0 2902 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 2908 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 2909 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 2912 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 3460/1911 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम बिछोछ के राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम दर्ज करवाने दिनांक 15.3.2024 को तहसील कार्यालय बरनाला गया था किन्तु प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए कहा इसलिए वादी को हस्तगत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 2902 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 2908 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 2909 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 2912 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 3460/1911 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम बिछोछ का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में बिना न्यायालय की अनुमती के कोई फेरबदल नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/रीडर/2024/513 दिनांक 24.7.2024 द्वारा तहसीलदार बरनाला से निम्न बिन्दुओं पर सूचना चाही गई–

1. वसीयत कानूनी रूप से वैद्य है या नहीं । हां या ना ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

2. क्या वसीयत दो गवाहों द्वारा प्रमाणित है या नहीं ।

3. वसीयत में शामिल वारिसों की जांच करें। जांच के अनुसार यदि मृत व्यक्ति द्वारा बनाई गई वसीयत से किसीवारिस को कोई आपत्ती नहीं है तो राजस्व न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण की प्रक्रिया आगे बढाई जावेगी । क्या उक्त वसीयत में किसी वारिस को आपत्ती है हां या ना ।

4. वारिसों तथा गवाहों का पहचान पत्र संलग्न है या नहीं ।

5. क्या वारिस की उम्र वसीयत के समय 18 वर्ष से कम थी या अधिक ।

तहसीलदार बरनाला ने उनके पत्रांक भू.अ./2024/1026 दिनांक 26.7.2024 के साथ पटवारी से प्राप्त मूल रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई है। पटवारी हलका ने बिन्दु अनुसार निम्न प्रकार रिपोर्ट की है–

1. यह है कि भूमि खसरा नं0 2902 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 2908 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 2909 रकबा 1.22 है0, ख0नं0 2912 रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 3640/2911 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 1.74 है0 ग्राम बिछोछ की जमाबंदी चौसाला में प्रभू पुत्र कन्हैया जाति मीना के नाम से खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है।

2. यह है कि मृतक प्रभू पुत्र कन्हैया मीना की मृत्यु ग्राम बिछोछ में 18.11.2010 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हुई है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बिछोछ द्वारा 2.12.2010 को जारी किया गया है। वादी रायसिंह पुत्र मूलसिंह ने एक पंचनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की है। 10/–रूपये के स्टाम्पपेपर पर, जिसमें 29.11.2010 को पंचो द्वारा पगडी का दस्तूर रायसिंह पुत्र मूलसिंह द्वारा किया गया का अंकन है तथा इस पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर मौजूद है।

3. यह है कि प्रभू पुत्र कन्हैया मीना लाऔलाद फौत हुआ था। प्रभू पुत्र कन्हैया मीना तीन भाई–बहिन थे। एक का नाम प्रभू दूसरा किशोरी एवं तीसरी इनकी बहिन कल्याणी थी। जिसमें से प्रभू व किशोरी दोनों अविवाहित थे तथा इनकी बहिन कल्याणी की शादी ग्राम कोटडी तहसील तलावडा जिला गंगापुर सिटी में हुई थी। जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इसके वारिसान 1. दयाराम (पुत्र) 2. ओमप्रकाश (पुत्र) 3. सम्पति (पुत्री) 4. चेनी देवी (पुत्री) दो पुत्र व दो पुत्री है। (जांच रिपोर्ट तहसीलदार तलावडा के अनुसार, जो संलग्न है) वादी रायसिंह पुत्र मूलसिंह द्वारा एक 100 रूपये का अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें 17.1.2006

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

को मृतक प्रभू पुत्र कन्हैया मीना द्वारा रायसिंह पुत्र मूलसिंह के नाम अपनी चल व अचल सम्पति की वसीयत की हुई है।

4. कानूनी बिन्दु है।
5. कानूनी बिन्दु है।
6. कानूनी बिन्दु है।
7. कानूनी बिन्दु है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 232 ग्राम बिछोछ प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 223 ग्राम बिछोछ प्रदर्श–2, असल वसीयत प्रपत्र दि0 7.1.2006 प्रदर्श–3, असल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रभूलाल मीना दिनांक 18.11.2010 प्रदर्श–4, फोटोकोपी आधार पत्र ग्यारसीदेवी, फोटोकोपी आधार पत्र छोटया, फोटोकोपी आधार पत्र रामकेश, फोटोकोपी आधार पत्र एकराम मीना प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी रायसिंह मीना पी0डब्लू0 1,बयान गवाह रामकेशमीना पी0डब्लू0 2, बयान गवाह छोटया गुर्जर पी0डब्लू0 3,बयान गवाह एकराममीना पी0डब्लू0 4 बयान गवाह ग्यारसीदेवी पी0डब्लू0 5 कराए हैं।

बहस विद्धान अभिभाषक वादी सुनी गई।

वादी के विद्धान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम बिछोछ प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रभूलाल पुत्र कन्हैया मीना की खातेदारी में दर्ज है। वादी रायसिंह ने असल वसीयत प्रपत्र दिनांक 7.1.2006 प्रदर्श–3 प्रस्तुत किया है जिसमें वादी रायसिंह को प्रभू पुत्र कन्हैया मीना द्वारा उसकी सम्पत्ती की वसीयत की गई है। असल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–4 के अनुसार प्रभूलाल मीना की मृत्यु दिनांक 18.11.2010 को हुई है। तहसीलदार बरनाला के पत्र दिनांक 26.7.2024 के साथ पटवारी हलका बिछोछ की जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें मृतक प्रभू पुत्र कन्हैया के एक अन्य भाई व एक बहन होना भी बताया गया है । हालांकि इन दोनों की मृत्यु होना भी अपनी रिपोर्ट में पटवारी हलका ने अंकित किया है। इस प्रकार मृतक प्रभू पुत्र कन्हैया मीना की वादग्रस्त सम्पत्ती का वादी एकमात्र उत्तराधिकारी प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है। वादी के पक्ष में लिखी गई वसीयत भी रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामले में मृतक प्रभू पुत्र कन्हैया मीना ने जो अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा वादी के पक्ष में दि. 7.1.2006

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

को लिखा है उसे सक्षम सिविल न्यायालय से वादी द्वारा साबित कराया जाना आवश्यक है। फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है एवं वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह उसके पक्ष में मृतक प्रभू पुत्र कन्हैया मीना निवासी बिछोछ द्वारा दिनांक 7.1.2006 को लिखे गए अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा को सक्षम सिविल न्यायालय से साबित करावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.3.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम बामनवास
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

रायसिंह मीना पुत्र मूलसिंह उर्फ मूल्या मीना निवासी बिछोछ तहसील बरनाला
——वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील कार्यालय बरनाला ——प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –28/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ——— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है एवं वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह उसके पक्ष में मृतक प्रभू पुत्र कन्हैया मीना निवासी बिछोछ द्वारा दिनांक 7.1.2006 को लिखे गए अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा को सक्षम सिविल न्यायालय से साबित करावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21·3·25 को जारी किया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
बामनवास

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner